

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
18/2019

तारीख दायर
30-09-2019

तारीख फैसला

07/04/22

उनवान

01. ब्रह्मसिंह पुत्र हजारीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बामडोली तहसील व जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

—:: अपीलान्त

बनाम

01. तत्कालीन ग्राम पंचायत सांथलका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) जयें सरपंच हाल समायोजित सचिव नगर परिषद् भिवाडी जिला अलवर हॉल तहसीलदार टपूकडा।
02. नमीता कुंदरा पत्नी नीरज अग्रवाल जाति महाजन निवासी 114 होप अपार्टमेन्ट सेक्टर-15 फ़ैस 2 गुरुग्राम (हरि0)


—:: रेस्पोंडेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय दर्ज दिनांक 01.08.2007 स्वीकार दिनांक 06.08.2007

इंतकाल संख्या 493 वाके ग्राम बिलाहेडी

—:: निर्णय ::—

सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलान्टा ने इंतकाल संख्या 493 दर्ज दिनांक 01.08.2007 व स्वीकार दिनांक 06.08.2007 को स्वीकार हुआ के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा दर्ज दिनांक 01.08.2007 व स्वीकार दिनांक 06.08.2007 को मिन अपीलान्ट द्वारा वाके ग्राम बिलाहेडी की खरीदशुदा आराजी को ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से स्वीकार किया गया। आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.32 है0 में से 624 वर्गगज भूमि अन्य आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 0.51 है0 में से 1/20 हिस्सा, 120 रकबा 0.19 है0 में से 11/36 हिस्सा वाके ग्राम बिलाहेडी को आराजी के पूर्व खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 श्रीमती नमीता कुंदरा से जरिये रजि. बयनामा दिनांक 20.07.2007 को बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर उपपंजीयक महोदय भिवाडी के यहां पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 263 में पृष्ठ संख्या 36 कम संख्या 2007003036 पर पंजीबद्ध कराया है। वक्त खरीद से ही मिन अपीलान्ट खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काशत करता चला आ रहा है तथा मौके पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्ट का सद्भावी क्रेता है। मिन अपीलान्ट ने खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काशत करता चला आ रहा है तथा मौके पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्ट का सद्भावी क्रेता है मिन अपीलान्ट ने खरीदशुदा बयनामा की प्रति हल्का पटवारी के सुपुर्द कर दी है तथा हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत ने बयनामा के आधार पर अन्य आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 0.51 है0 में से 1/20 हिस्सा, 120 रकबा 0.19 है0 में से 11/36 हिस्सा वाके ग्राम बिलाहेडी तहसील तिजारा में सही दर्ज व स्वीकार कर दिया लेकिन आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.32 है0 में से 624 खरीदशुदा भूमि में से केवल मात्र बेजा तौर पर 324 वर्गगंज का ही दर्ज


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

सरपंच जरिये ग्राम पंचायत ने बयनामा के विपरित विधि विरुद्ध तरीके से बिना दस्तावेजात का इंतकाल संख्या 493 दिनांक 01.08.2007 व स्वीकार दिनांक 06.08.2007 को आदेश पारित कर दिया, का व दस्तावेज के खिलाफ है। इसलिए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 उक्त आदेश का गलत एवं विधि विरुद्ध है, पास्त है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य ताल संख्या 493 दर्ज दिनांक 01.08.2007 व स्वीकार दिनांक 06.08.2007 में पारित किया गया है, उसे संबंधित राजस्व अधिकारी को इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर मिन अपीलान्ट के नाम आराजी खसरा नम्बर बा 0.32 है0 में से 624 वर्गगंज वाके ग्राम बिलाहेडी तहसील तिजारा के नाम के आदेश फरमाये जाने की कृपा

अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम निम्न प्रकार पेश किया है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सांथलका का आलौच्य आदेश दर्ज दिनांक 01.08.2007 व स्वीकार दिनांक 06.08.2007 की जानकारी लेने नकल दिनांक 31.07.2018 व पेश करने अपील हाजा तक का समय न्यायहित में कन्डोन फरमाने की कृपा करें।


अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। नोटिस की तामील के उपरान्त रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहे इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि इंतकाल संख्या 493 में आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.32 है0 में 324 वर्गगंज के स्थान पर 624 वर्गगंज दर्ज कराने का श्रम करें। अपील के समर्थन में बयनामा दिनांक 15.04.2006 व इंतकाल संख्या 493 स्वीकार दिनांक 06.08.2007 पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 493 स्वीकार दिनांक 06.08.2007 को प्राप्त करने नकल व पेश करने अपील तक का समय न्यायहित में कन्डोन किया जाता है व संशोधन करना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार टपूकडा को निर्देशित किया जाता है कि इंतकाल संख्या 493 स्वीकार दिनांक 06.08.2007 वाके ग्राम बिलाहेडी में अंकित खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.32 है0 में से 324 वर्गगंज के स्थान पर 624 वर्गगंज मूल इंतकाल संख्या 493 में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।


(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)